

नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़

प्रशासकीय परिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 25/05/2019 को प्रातः 11.30 बजे आई० आर० डी० टी० सर्वे चौक, देहरादून में आहूत हुई। बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. श्री अनिल गोयल | — अध्यक्ष |
| 2. श्री ओम प्रकाश, आई०एस० | — उपाध्यक्ष |
| 3. श्री मोहर मणि | — सदस्य |
| 4. प्रो० मनोज दुहान | — सदस्य |
| 5. प्रो० गीतम सिंह तोमर | — सदस्य |
| 6. डा० जी०पी० गुप्ता | — सदस्य |
| 7. प्रो० अम्बरीष एस० विद्यार्थी | — सदस्य सचिव |

विशेष आमन्त्री:-

1. श्री मुकेश पाण्डेय संयुक्त सचिव, आई० आर० डी० टी० सर्वे चौक, देहरादून
2. श्री जी० एस० विष्ट, अनुसचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन
3. श्री प्रकाश पालीवाल, अनुभाग अधि०, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

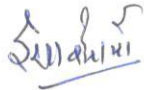
नोट: प्रशासकीय परिषद् के मा० सदस्यों डॉ० डी० एस० पुण्ड्रीर तथा डॉ० हरीश पंत ने व्यक्तिगत कारणों से परिषद् की बैठक में प्रतिभाग करने में असमर्थता जतायी।

2.1 बैठक में सदस्य सचिव द्वारा प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सम्मानित सदस्यों का स्वागत।

नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग संस्थान, पिथौरागढ़ की प्रशासकीय परिषद् की द्वितीय बैठक में प्रशासकीय परिषद् के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का स्वागत परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा किया गया तथा प्रशासकीय परिषद् द्वारा संस्थान के विकास कार्य में सहयोग देने हेतु आभार व्यक्त किया गया।

2.2 प्रशासकीय परिषद् की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

प्रशासकीय परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।







2.3 प्रशासकीय परिषद की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय का बिन्दुवार कियान्वयन।

परिषद् की प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों के बिन्दुवार सफल कियान्वयन से प्रशासकीय परिषद् अवगत तथा संतुष्ट हुई।

2.4 संस्थान की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था:

प्रशासकीय परिषद् संस्थान द्वारा सुनिश्चित की गयी सुरक्षा व्यवस्था से अवगत हुई।

2.5 संस्थान हेतु अतिथि गृह की व्यवस्था:

प्रशासकीय परिषद् संस्थान द्वारा अनुबंध के आधार पर लिये गये अतिथि गृह की व्यवस्था से अवगत हुई एवं अपनी सहमति प्रदान की।

2.6 संस्थान का सी0ए0 द्वारा ऑडिट:

प्रशासकीय परिषद् द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 एवं मार्च 2018 से 31 जनवरी 2019 तक की सी0 ए0 आडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

2.7 स्थायी परिसर में निर्माणाधीन शैक्षणिक भवनों का निरीक्षण:

प्रशासकीय परिषद् द्वारा स्थाई परिसर में निर्माणाधीन शैक्षणिक भवनों की मन्द गति से होने वाले निर्माण कार्य पर असन्तोष व्यक्त किया गया। परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्यों की जाँच श्री राम इन्सिट्यूट, नई दिल्ली से करवाई जाय एवं जाँच के उपरान्त, यदि अनियमितता परिलक्षित हो तो, कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम से निर्माण कार्य वापस लिया जाय। परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य में समय व धन की अनियमितता पायी जाने पर निर्माण कार्य सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड अथवा ब्रिडकुल से करवाया जाय।

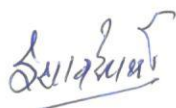
2.8 विभिन्न प्रयोगशालाओं का अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में स्थानांतरण:

प्रशासकीय परिषद्, संस्थान द्वारा विभिन्न प्रयोगशालाओं के अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में किये गये स्थानान्तरण से अवगत हुई एवं अपनी सहमति प्रदान की।

2.9 वाहन चालको के दो पद स्वीकृत किये जाने हेतु अनुमोदन:

चूकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा चतुर्थ क्षेणी कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिये गये हैं। अतः परिषद् द्वारा वाहन चालकों के दो पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। परिषद् द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रकार के कार्यों हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसियों से सेवाएँ ली जाए।

2.10 संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता (टी0ए0) दैनिक भत्ता (डी0ए0) के नियमों को लागू करवाये जाने हेतु अनुमोदन:



प्रशासकीय परिषद द्वारा उत्तराखण्ड शासन से उपरोक्त हेतु निर्धारित किये गये नियमों को लागू करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

2.11 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता (टी0ए0) दैनिक भत्ता (डी0ए0) के नियमों को लागू करवाये जाने हेतु अनुमोदन।

संस्थान के प्रस्ताव कि TEQIP कार्यों हेतु मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु लागू किये जाने पर प्रशासकीय परिषद द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। प्रशासकीय परिषद द्वारा शिक्षकों को उपरोक्त कार्य हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने संबंधी निर्देश दिये। साथ ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों हेतु निर्धारित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को लागू करवाने पर सहमति प्रदान की गयी।

2.12 संस्थान में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने हेतु अनुमोदन:

प्रशासकीय परिषद द्वारा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 791/XVII-5/16-09(17)/2004 TC-1 के अर्न्तगत उपनल को कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही उत्तराखण्ड शासन की सहमति प्राप्त करने के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

2.13 संस्थान के स्थायी परिसर में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के शैक्षणिक क्रियाकलाप प्रारम्भ किया जाना:

प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान के स्थायी परिसर में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के शैक्षणिक क्रिया कलाप प्रारम्भ करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

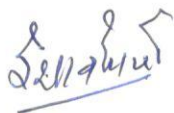
2.14 अनुबन्धित शिक्षकों के अनुबन्ध को बढ़ाये जाने हेतु अनुमोदन:

प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान के स्थायी शिक्षकों की अतिशीघ्र नियुक्ति किये जाने का सुझाव दिया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र के दृष्टिगत अनुबन्धित शिक्षकों के अनुबन्ध को एक वर्ष या नियमित नियुक्ति, जो भी पहले घटित हो तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय परिषद द्वारा निर्देशित किया कि अपेक्षित अनुमोदन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय।

2.15 संस्थान के छात्रावासों की अवशेष राशि को संस्थान के खाते में हस्तांतरित किये जाने हेतु अनुमोदन:

प्रशासकीय परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.16 छात्र/छात्राओं से ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट हेतु तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 3000/- अतिरिक्त लिये जाने हेतु अनुमोदन:



प्रशासकीय परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.17 संस्थान में कार्यरत सहायक प्राध्यापक श्री जयदीप किशोर (अनुबंधित) की अनुशासनहीनता की जाँच रिपोर्ट पर निर्णय:

उत्तराखण्ड शासन में संबन्धित द्वारा REPRESENTATION दिये जाने तथा उस पर 15 दिनों के अन्दर निर्णय किये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय परिषद द्वारा अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया गया। प्रशासकीय परिषद प्रकरण पर आगामी बैठक में निर्णय लेगी।

2.18 पुस्तकालय सहायक श्रीमती गीतिका महर के अक्षमता एवं लापरवाही की जाँच रिपोर्ट पर निर्णय:

उत्तराखण्ड शासन में संबन्धित द्वारा REPRESENTATION दिये जाने तथा उस पर 15 दिनों के अन्दर निर्णय किये जाने के दृष्टिगत प्रशासकीय परिषद द्वारा अगली बैठक में प्रस्ताव रखने का सुझाव दिया गया। प्रशासकीय परिषद प्रकरण पर आगामी बैठक में निर्णय लेगी।

2.19 संस्थान में अनुबंध के आधार पर कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के आपूर्तिकर्ताओं का अनुबंध निरस्त करने के सम्बन्ध में:

प्रशासकीय परिषद द्वारा पूर्व में दो फर्मों से आपूर्त किये गये कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के अनुबंध को निरस्त करते हुए भविष्य में आपूर्तिकर्ताओं से सेवायें न लेने का निर्णय लिया गया। अवशेष धनराशि का भुगतान संबन्धित को किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

2.20 TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न सामग्रियों व उपकरणों का कय:

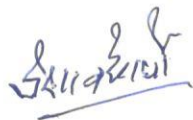
प्रशासकीय परिषद द्वारा TEQIP-III परिषद परियोजना के अन्तर्गत संस्थान के विभिन्न विभागों में कय की गयी सामग्री व उपकरणों की सूची का अवलोकन किया।

2.21 SPIU-उत्तराखण्ड द्वारा TEQIP-III परियोजना का सी0ए0 द्वारा ऑडिट:

प्रशासकीय परिषद द्वारा ऑडिट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

2.22 संस्थान के अतिथि गृह हेतु फर्नीचर इत्यादि का TEQIP-III के माध्यम से कय:

प्रशासकीय परिषद द्वारा अतिथि गृह हेतु TEQIP-III के माध्यम से कय किये गये फर्नीचर इत्यादि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।



2.23 विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों, विभिन्न सामग्री का कय एवं सिविल कार्य हेतु अनुमोदन।

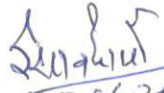
प्रशासकीय परिषद द्वारा उपरोक्त कार्यों को TEQIP -III के माध्यम से कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

2.24 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य बिन्दु।

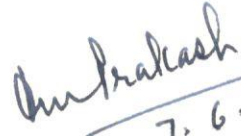
2.24.1 नन्ही परी सीमान्त अभियांत्रिकी संस्थान, पिथौरागढ़ के अनुमोदित बाई-लॉज में आंशिक संशोधन किया जाना।

प्रशासकीय परिषद द्वारा संस्थान के बाई-लॉज को उत्तराखण्ड शासन से प्राख्यापित किये जाने हेतु शासन के निर्देशों को अनुमोदित बाई-लॉज में यथासंशोधित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त के साथ बैठक का समापन हुआ।


07.06.2019

(प्रो0 अम्बरीष एस0 विद्यार्थी)
निदेशक एवं सदस्य सचिव


7.6.19

(श्री ओम प्रकाश, I.A.S.)
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद



(श्री अनिल गोयल)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद